

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17035 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4492 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1027.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 279 A&B |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 92 TO 96 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANTMUKTABAI SANTHAN EDLABAD

सि.स.नं. / गट नं. : 279 A&B
 भुखंड क्र. : 92 TO 96
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 154.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 21.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 41.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 21.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 21.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 51.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 15.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 324.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 41.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 46.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6300 | 370.00 | 6670.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17036 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4054 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 511.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 287/3PAI |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : GOPAL KANYILAL KUMAWAT

सि.स.नं. / गट नं. : 287/3PAI

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 77.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 10.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 20.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 10.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 10.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 26.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 8.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 161.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 20.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 23.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3028 | 184.00 | 3212.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17037 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4029 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 750.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 288+289 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 111 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANIRUDHA VISHWANTAH DESHPANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 288+289

भुखंड क्र. : 111

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 113.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 15.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 30.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 15.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 15.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 38.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 11.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 237.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 30.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 34.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4463 | 271.00 | 4734.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17038 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4327 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1500.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 288+289AB |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 167 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : S. T. PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 288+289AB

भुखंड क्र. : 167

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 225.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 30.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 60.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 30.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 30.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 75.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 473.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 60.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 68.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8611 | 541.00 | 9152.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17039 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4045 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 213.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 291 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 57 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURESH PAULAD CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 291

भुखंड क्र. : 57

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 32.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 4.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 9.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 4.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 4.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 11.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 3.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 67.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 1.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 6.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 7.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 1244 | 74.00 | 1318.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17040 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3649 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5400.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 95-211/212 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : DEVENDRA PUNAMCHAND WARDE

सि.स.नं. / गट नं. : 95-211/212

भुखंड क्र. : 12

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 810.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 108.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 216.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 108.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 108.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 270.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 81.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1701.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 27.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 270.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 297.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 26278 | 1998.00 | 28276.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|-------------------|
| देयक क्र. : | 17041 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2783 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1089.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 299 A 1+299/2+300 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 16PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU.REKHA SHYAMRAO SHIMPI

सि.स.नं. / गट नं. : 299 A 1+299/2+300

भुखंड क्र. : 16PAI

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 163.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 22.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 44.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 22.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 22.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 54.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 16.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 343.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 44.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 49.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 1568 | 392.00 | 1960.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17042 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3728 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3810.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 299/1+2+300 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHAKUNTALA KASHINATH PATIL
AND OTHERS 2

सि.स.नं. / गट नं. : 299/1+2+300

भुखंड क्र. : 36

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 572.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 76.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 152.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 76.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 76.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 191.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 57.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1200.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 191.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 210.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18548 | 1410.00 | 19958.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|-----------------|
| देयक क्र. : | 17043 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3637 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1936.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 299/1+299/2+300 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURESH DODHU BORSE

सि.स.नं. / गट नं. : 299/1+299/2+300

भुखंड क्र. : 2

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 290.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 39.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 77.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 39.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 39.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 97.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 29.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 610.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 77.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8277 | 697.00 | 8974.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17044 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3022 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4324.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 299/1+299+2 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 300 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUNANDA VIJAY LOKHANDE & OTHER

सि.स.नं. / गट नं. : 299/1+299+2

भुखंड क्र. : 300

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 649.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 86.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 173.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 86.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 86.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 216.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 65.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1361.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 22.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 216.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 238.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21039 | 1599.00 | 22638.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17045 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3900 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1875.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 299 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : V.O. CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 299
भुखंड क्र. : 5
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 281.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 38.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 75.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 38.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 38.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 94.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 592.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 75.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 84.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9914 | 676.00 | 10590.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17046 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2557 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2200.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 302 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NAMDEV SHANKER MALI

सि.स.नं. / गट नं. : 302
भुखंड क्र. : 8
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 330.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 44.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 88.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 44.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 44.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 110.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 33.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 693.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 11.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 88.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 99.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4788 | 792.00 | 5580.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17047 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2749 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2257.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 302 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUNIL SHARAD MAHAJAN
ABHAY DIGAMBAR KHANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 302
भुखंड क्र. : 15
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 339.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 45.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 90.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 45.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 45.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 113.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 34.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 711.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 11.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 90.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 101.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10687 | 812.00 | 11499.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17048 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2750 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3193.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 302 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUNIL SHARAD MAHAJAN
ABHAY DIGAMBAR KHANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 302
भुखंड क्र. : 20
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 479.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 64.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 128.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 64.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 64.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 160.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 48.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1007.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 160.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 176.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15548 | 1183.00 | 16731.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17049 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4400 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4221.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 302 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. LAXMI SATYANARAYAN AGRAWAL

सि.स.नं. / गट नं. : 302
भुखंड क्र. : 14
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 633.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 84.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 169.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 84.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 211.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 63.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1328.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 21.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 211.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 232.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 22448 | 1560.00 | 24008.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17050 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3125 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8504.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 313 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRA KANT SUKDEV SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 313

भुखंड क्र. : 11

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1276.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 170.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 340.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 170.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 170.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 425.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 128.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2679.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 43.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 510.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 553.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 47147 | 3232.00 | 50379.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17051 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3126 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2070.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 313 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 31 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : KAMALABAI SUKDEV SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 313

भुखंड क्र. : 31

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 311.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 41.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 83.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 41.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 41.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 104.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 31.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 652.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 10.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 83.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 93.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7496 | 745.00 | 8241.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17052 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3127 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 900.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 313 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 34 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJAY SUKDEO SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 313

भुखंड क्र. : 34

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 135.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 18.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 36.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 18.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 18.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 45.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 14.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 284.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 36.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 41.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2911 | 325.00 | 3236.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17053 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3174 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 9713.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 313 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 32 TO 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJAY SUKDEV SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 313
 भुखंड क्र. : 32 TO 35
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1457.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 194.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 389.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 194.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 194.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 486.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 146.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3060.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 49.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 583.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 632.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37800 | 3692.00 | 41492.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17054 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3175 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8504.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 313 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 8 TO 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRAKANT SUKDEV SONWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 313
भुखंड क्र. : 8 TO 11
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1276.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 170.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 340.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 170.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 170.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 425.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 128.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2679.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 43.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 510.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 553.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 25671 | 3232.00 | 28903.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17055 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3622 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3729.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : GYANCHAND SUGANCHAND KATARIYA

सि.स.नं. / गट नं. : 315
भुखंड क्र. : 23
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 559.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 75.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 149.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 75.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 75.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 186.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 56.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1175.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 186.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 205.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2758 | 1380.00 | 4138.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17056 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2646 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 850.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJENDRA SHANTILAL CHOPADA

सि.स.नं. / गट नं. : 315/1/1

भुखंड क्र. : 35

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 128.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 34.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 43.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 269.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 34.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 38.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2298 | 307.00 | 2605.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17057 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2647 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 850.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUBHASH BHAURAO GURAV

सि.स.नं. / गट नं. : 315/1/1

भुखंड क्र. : 36

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 128.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 34.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 43.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 269.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 34.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 38.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2288 | 307.00 | 2595.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17058 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2648 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 859.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 37 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHAILA RAJENDRA MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 315/1/1
भुखंड क्र. : 37
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 129.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 34.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 43.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 270.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 34.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 38.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4077 | 308.00 | 4385.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17059 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2713 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 729.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 40 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RUKHAMIHIBAI KISAN JADHAV
VILAS KISAN JADHAV

सि.स.नं. / गट नं. : 315/1/1

भुखंड क्र. : 40

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 109.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 15.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 29.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 15.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 15.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 36.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 11.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 230.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 29.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 33.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 1846 | 263.00 | 2109.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17060 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2789 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 851.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 43 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MUKESH JIJABRAO PAWAR

सि.स.नं. / गट नं. : 315/1/1

भुखंड क्र. : 43

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 128.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 34.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 43.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 269.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 34.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 38.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3341 | 307.00 | 3648.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17061 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2790 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 759.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 42 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MUKESH JIJABRAO PAWAR

सि.स.नं. / गट नं. : 315/1/1

भुखंड क्र. : 42

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 114.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 15.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 30.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 15.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 15.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 38.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 11.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 238.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 30.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 34.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 1733 | 272.00 | 2005.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17062 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3722 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 594.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315/1/1 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJENDRA GOYAL

सि.स.नं. / गट नं. : 315/1/1

भुखंड क्र. : 23

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 89.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 12.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 24.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 12.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 12.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 30.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 188.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 24.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 27.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | -204 | 215.00 | 11.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17063 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2599 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1872.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315/2 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NARENDRA BRAJIAI SHAH

सि.स.नं. / गट नं. : 315/2

भुखंड क्र. : 17

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 281.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 37.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 75.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 37.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 37.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 94.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 589.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 75.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 84.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3493 | 673.00 | 4166.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17064 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2714 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 452.73 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315/2 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 31 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHRIHIVAS GANGARAM HULIK

सि.स.नं. / गट नं. : 315/2

भुखंड क्र. : 31

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 68.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 9.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 18.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 9.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 9.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 23.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 7.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 143.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 18.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 20.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2151 | 163.00 | 2314.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17065 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2715 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1131.30 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315/2 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 31PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAHKRISHNA LALSING PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 315/2
 भुखंड क्र. : 31PAI
 शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 170.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 23.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 45.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 23.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 23.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 57.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 17.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 358.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 45.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 51.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5376 | 409.00 | 5785.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17066 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2891 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3354.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315/2 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 1,2,3,4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUNIL VASUDEV CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 315/2

भुखंड क्र. : 1,2,3,4

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 503.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 168.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1056.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 168.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19300 | 1241.00 | 20541.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17067 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3104 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1512.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315/2 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : RANIDAS SARDALMAL DAKLIYA

सि.स.नं. / गट नं. : 315/2

भुखंड क्र. : 9

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 227.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 30.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 60.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 30.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 30.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 76.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 23.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 476.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 60.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 68.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 1019 | 544.00 | 1563.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17068 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4206 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3354.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315/2 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ARVIND PRABHAKAR KULKARNI

सि.स.नं. / गट नं. : 315/2

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 503.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 168.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1056.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 168.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17060 | 1241.00 | 18301.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17069 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4207 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315/2 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ARVIND PRABHAKAR KULKARNI

सि.स.नं. / गट नं. : 315/2

भुखंड क्र. : 2

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14056 | 1021.00 | 15077.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17070 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4208 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2835.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315/2 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ARVIND PRABHAKAR KULKARNI

सि.स.नं. / गट नं. : 315/2

भुखंड क्र. : 3

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 425.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 113.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 894.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 113.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 127.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14056 | 1021.00 | 15077.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17071 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4209 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4063.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315/2 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ARVIND PRABHAKAR KULKARNI

सि.स.नं. / गट नं. : 315/2

भुखंड क्र. : 4

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 609.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 81.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 163.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 81.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 81.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 203.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 61.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1279.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 203.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 223.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20668 | 1502.00 | 22170.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17072 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4538 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5910.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 315/2 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 24,25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : NITA NIMESH AASAR.
ISHWAR BABALU SONI

सि.स.नं. / गट नं. : 315/2
भुखंड क्र. : 24,25
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 887.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 118.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 236.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 118.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 118.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 296.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 89.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1862.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 30.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 296.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 326.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 25277 | 2188.00 | 27465.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17073 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3072 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 931.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 332/2/2 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 70 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANOHAR HILKHANDH CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 332/2/2

भुखंड क्र. : 70

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 140.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 19.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 37.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 19.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 19.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 47.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 14.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 295.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 37.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 42.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4416 | 337.00 | 4753.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील



स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.

| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17074 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2761 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2660.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 344 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU.MAMATA RAJEHDRA ROTE

सि.स.नं. / गट नं. : 344
भुखंड क्र. : 19
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 399.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 53.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 106.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 53.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 53.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 133.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 40.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 837.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 13.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 106.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 119.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8688 | 956.00 | 9644.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17075 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3238 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5130.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 336 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANOHAR GAJANAN WAGH

सि.स.नं. / गट नं. : 336

भुखंड क्र. : 8

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 770.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 103.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 205.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 103.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 103.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 257.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 77.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1618.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 26.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 257.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 283.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 24984 | 1901.00 | 26885.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17076 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3054 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4950.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 337 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : GUNAJI SITARAM INGLE
SAU. PUSHPALTA GUNAJI INGLE

सि.स.नं. / गट नं. : 337
भुखंड क्र. : 8
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 743.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 99.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 198.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 99.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 99.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 248.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 74.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1560.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 25.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 248.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 273.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 24092 | 1833.00 | 25925.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17077 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2953 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4894.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 337/2 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUSHILA PREMRAJ NEMADE

सि.स.नं. / गट नं. : 337/2

भुखंड क्र. : 12

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 734.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 98.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 196.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 98.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 98.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 245.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 73.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1542.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 24.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 245.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 269.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 25986 | 1811.00 | 27797.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17078 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 2948 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1028.50 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 301/1 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ARUN BAJIRAO CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 301/1

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 154.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 21.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 41.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 21.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 21.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 51.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 15.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 324.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 41.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 46.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 794 | 370.00 | 1164.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17079 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3404 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1870.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 301/1 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRABHA VASUDEO PANAT OTHER'S

सि.स.नं. / गट नं. : 301/1

भुखंड क्र. : 23

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 281.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 37.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 75.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 37.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 37.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 94.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 28.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 589.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 75.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 84.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4939 | 673.00 | 5612.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17080 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3430 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2299.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 301/1 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUHASINI SHRIKRUSHANA JAVLE .

सि.स.नं. / गट नं. : 301/1

भुखंड क्र. : 30

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 345.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 46.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 92.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 46.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 46.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 115.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 34.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 724.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 11.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 92.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 103.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10885 | 827.00 | 11712.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17081 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3570 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2431.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 301/1 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHAMKANT YADAV KULKARNI

सि.स.नं. / गट नं. : 301/1

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 365.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 49.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 97.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 49.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 49.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 122.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 36.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 767.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 12.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 97.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 109.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9959 | 876.00 | 10835.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17082 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4389 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1028.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 301/1 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : PARTNER OFSURBHI OIL MILL JALGAON
KOMALSINGH THANSINGH RAJPOOT
AND OTHERS 1

सि.स.नं. / गट नं. : 301/1

भुखंड क्र. : 3

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 154.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 21.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 41.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 21.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 21.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 51.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 15.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 324.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 41.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 46.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5342 | 370.00 | 5712.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17083 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3073 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1345.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 332/2/2 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 69 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANDHAR NILKHANDHARI CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 332/2/2

भुखंड क्र. : 69

शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 202.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 27.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 54.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 27.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 27.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 67.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 20.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 424.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 7.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 54.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 61.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 1940 | 485.00 | 2425.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17084 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 3849 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1253.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 295 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 62 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : ARVIND NARAYAN PURNAPATRE

सि.स.नं. / गट नं. : 295
भुखंड क्र. : 62
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 188.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 25.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 50.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 25.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 63.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 19.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 395.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 6.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 50.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 56.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 1804 | 451.00 | 2255.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 17085 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 4395 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1645.00 | शिवाराचे नांव : | PIMPRALA |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 4 | सि.स.नं. / गट नं. : | 288 |
| भाग क्रमांक : | 1 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2013-2014 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANSURKHA JABAKHA
SUBHASH RAMDAS SURYAVASHI & OTHERS 2

सि.स.नं. / गट नं. : 288
भुखंड क्र. : 9
शिवाराचे नांव : PIMPRALA

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2013-14 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 247.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 66.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 82.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 519.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 66.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 74.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2372 | 593.00 | 2965.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या